DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Wednesday, 10th July'2002/19th, Asadha(Saka)

No.217

Subject: Presidential Elections, 2002

Hon'ble Members are hereby informed that as per the directions of the Election Commission of India, the following points are to be kept in mind by ~~the~~ them while they vote at the election of the President of India scheduled to be held on Monday, 15th July 2002 from 10AM to 5 PM.

1.The details of Contesting Candidates are as follows :

Sl. No.	*Name of Candidate*	*Address of Candidate*
1.	Shri Abdul Kalam	*House No.833, Nikka Singh Block, Asiad Village Complex, New Delhi.*
2.	Smt. Lakshmi Sahagal	*15/241, 15 Civil Lines, Kanpur, Uttar Pradesh.*

2. Voting at the election of the President shall be by Secret Ballot

HOW TO VOTE.

i. **Every Member shall have two preferences as there are two candidates but no ballot paper shall be considered invalid solely on the ground that a second preference is not marked.**

ii. **An elector in giving his vote -**
   (a) SHALL PLACE ON HIS BALLOT PAPER THE FIGURE '1' IN THE SPACE OPPOSITE THE NAME OF THE CANDIDATE WHOM HE CHOOSES FOR HIS FIRST PREFERENCE; AND

   (b) MAY, IN ADDITION, MARK SECOND PREFERENCE, IF HE WISHES, BY PLACING ON HIS BALLOT PAPER THE FIGURE '2' IN THE SPACE OPPOSITE THE NAME OF THE SECOND CANDIDATE.

Members may please note that they should not indicate their choice by tick mark (√) nor indicate their choice in words (i.e. 'One', 'Two', etc.)

3. As a measure of uniformity in the marking of votes, it is desired that the electors should **use only the blue inked ball point pen** supplied by Assistant Returning Officer at the time of polling **for marking preferences on ballot papers.**

4. An elector on receiving the ballot papers shall forthwith-
   - (i) proceed to one of the voting compartment;
   - (ii) record his vote in accordance with the procedure detailed above;
   - (iii) fold the ballot papers so as to conceal his vote;
   - (iv) insert the folded ballot paper into the ballot box; and
   - (v) quit the place of polling.
   - (vi) Every elector shall vote without undue delay

5. **Return of unused ballot papers by electors.**

   If an elector decides not to use the ballot paper after receiving it, he shall return it to the presiding officer.

6. The elector shall sign his/her name in the list in token of receipt of ballot paper.

7. **NO ELECTOR SHALL BE ALLOWED TO ENTER THE VOTING COMPARTMENT WHEN ANOTHER ELECTOR IS INSIDE IT.**

8. Time of polling 10 AM to 5 PM

9. Place of Polling is **Committee Room No. I, Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-54**.

10. **Only the following are allowed entry within the premises of the Assembly on the polling day :**
    - a. Electors
    - b. The candidates
    - c. Authorized representatives of the candidates.
    - d. Officers of Election Commission of India including the Chief Electoral Officers
    - e. Joint CEOs
    - f. Deputy CEOs
    - g. Observers of the Commission
    - h. The Official staff and others having official duties in connection with the election or in the premises of the Assembly
    - i. The media personnel duly authorized by the Commission.

11. **Entry to Visitors Gallery of the Assembly on 15th July, 2002 will also be restricted. Members are requested not to bring any accompanying persons with them on 15th July, 2002**

SK SHARMA
SECRETARY &
ASSISTANT RETURNING OFFICER
FOR PRESIDENTIAL ELECTION, 2002

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 10 जुलाई, 2002 / आषाढ़ 19, 1924 (शक)

संख्या : 217

राष्ट्रपति चुनाव, 2002

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सोमवार, 15 जुलाई, 2002 को 10.00 बजे से 5.00 बजे तक होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में मत देते समय निम्नलिखित कुछ बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है:

1. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता
1.	श्री अब्दुल कलाम	मकान नं.- 833, निक्का सिंह ब्लॉक, एशियाड विलेज कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली ।
2.	श्रीमती लक्ष्मी सहगल	15/241, 15 सिविल लाइन, कानपुर, उत्तर प्रदेश

2. राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान गुप्त मतों से होगा ।

वोट कैसे दें

(i) चूंकि, दो उम्मीदवार हैं, अत: प्रत्येक सदस्य की दो प्राथमिकताएं होंगी लेकिन दूसरी प्राथमिकता को चिन्हित न करने पर भी कोई मत अवैध करार नहीं दिया जाएगा ।

(ii) कोई मतदाता अपना मत देते समय -

(क) **जिस उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता में चुनना चाहते हैं बैलेट पेपर में उसके नाम के सामने वाले स्थान पर अंक-"1" लिखेंगे; और**

(ख) **इसके अतिरिक्त, यदि वह चाहे तो, बैलेट पेपर में दूसरे उम्मीदवार के नाम के सामने वाले स्थान पर अंक-2 लिख सकते हैं ।**

सदस्य कृपया ध्यान रखें कि वे अपना मत देते समय न तो **(✓)** चिन्ह्ति करें और न हीं शब्दों में लिखें (यानि **"एक"**, **"दो"** आदि)

3. मतों को चिन्ह्ति करनेमें समानता लाने की दृष्टि से, यह विचार किया गया है कि **मतदाता केवल नीली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन ही इस्तेमाल करें**, जो सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोट देते समय उपलब्ध कराया जाएगा ।

कृ०पृ०उ०

4. मत पत्र प्राप्त करने के बाद मतदाता -

   (i) किसी एक मतदान कक्ष में जाऐंगे;
   (ii) ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना मत डालेंगे;
   (iii) अपने मत को गुप्त रखने हेतु मत पत्र को मोड़ेंगे;
   (iv) मुड़ा हुआ मत पत्र मत-पेटी में डालेंगे;
   (v) मतदान स्थान से बाहर प्रस्थान करेंगे; और
   (vi) प्रत्येक मतदाता बिना विलम्ब किए मत डालेंगे ।

5. **मतदाताओं द्वारा बिना प्रयोग किए हुए मत पत्रों को वापिस करना ।**

   यदि कोई मतदाता, मत-पत्र प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रयोग न करने का निर्णय लेते हैं, तो वह उसे पीठासीन अधिकारी को वापिस कर देंगे ।

6. मतदाता मत पत्र प्राप्त करने के बाद मत पत्र सूची पर अपने नाम के सामने अपने हस्ताक्षर करेंगे ।

7. **जब एक मतदाता वोटिंग कक्ष के अन्दर हो तो किसी भी अन्य मतदाता को मतदान कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी ।**

8. मतदान का समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक है ।

9. मतदान का स्थान - **समिति कक्ष संख्या-1, दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54** है ।

10. **मतदान के दिन विधान सभा परिसर में केवल निम्नलिखित को प्रवेश करने की अनुमति होगी।**

   (क) मतदाता
   (ख) उम्मीदवार
   (ग) उम्मीदवारों के अधिकृत प्रतिनिधि
   (घ) मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सहित भारत के चुनाव आयोग के अधिकारी
   (ङ) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
   (च) उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
   (छ) आयोग के पर्यवेक्षक
   (ज) शासकीय कर्मचारी तथा विधान सभा परिसर में अथवा चुनाव के संदर्भ में शासकीय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी
   (झ) मिडिया कर्मचारी जिन्हें आयोग द्वारा यथा प्राधिकृत किया गया हो

11. **15 जुलाई, 2002 को विधान सभा की दर्शक दीर्घा में प्रवेश सीमित रहेगा । सदस्यों से अनुरोध है कि 15 जुलाई को अपने साथ अन्य व्यक्तियों को न लाँए ।**

एस०के० शर्मा
सचिव, विधान सभा एवं
राष्ट्रपति चुनाव, 2002 के लिए
सहायक निर्वाचन अधिकारी